न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 74/2017 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2017/00208

01. सुरेन्द्र सिंह उर्फ छिन्द्र सिंह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह जाति जटसिख निवासी करडवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
02. जितेन्द्र सिंह उर्फ छिन्द्र सिंह पुत्र श्री पृथ्वीसिंह जाति जटसिख निवासी करडवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री सत्यपाल सहू – अभिभाषक अपीलांट
श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांक 27.11.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेश दिनांक 08.05.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 8 के आर डब्ल्यू के खाता संख्या 21/21 पत्थर नंबर 92/124 के मुरब्बा नंबर 44 के किला नंबर 15 ता 25 तादादी 2.783 हैक्टयर एवं पत्थर नंबर 91/124 मुरब नंबर 45 के किला नंबंर 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 तादादी 5.060 हैक्टयर कुल तादादी 7.843 हैक्टयर भूमि छिन्द्र सिह पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम दर्ज है। जितेन्द्र सिंह उर्फ छिन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष प्रार्थना–पत्र रिकॉर्ड दुरूरती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर चक 8 के आर डब्ल्यू के खाता संख्या 24/24 में कुल तादादी 1.139 हैक्टयर भूमि जितेन्द्र सिह पुत्र पृथ्वीसिंह के स्थान पर जितेन्द्र सिंह उर्फ छिन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह एवं चक 8 के आर डब्ल्यू के खाता संख्या 21/21 में दर्ज कुल 7.843 हैक्टयर भूमि छिन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह के स्थान पर जितेन्द्र सिंह

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उर्फ छिन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किए। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के उक्त आदेश दिनांक 08.05.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 8 के आर डब्ल्यू के खाता संख्या 21/21 पत्थर नंबर 92/124 के मुरब्बा नंबर 44 के किला नंबर 15 ता 25 तादादी 2.783 हैक्टयर एवं पत्थर नंबर 91/124 मुरब नंबर 45 के किला नंबर 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 तादादी 5.060 हैक्टयर कुल तादादी 7.843 हैक्टयर भूमि छिन्द्र सिह पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम दर्ज है, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा छिन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के स्थान पर जितेन्द्रसिंह उर्फ छिन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह दर्ज किये जाने के आदेश मनमाने तरीके से एकतरफा तौर पर पारित कर दिया। अपीलांट का नाम सुरेन्द्र सिंह उर्फ छिन्द्र सिंह है एवं उक्त वादगत भूमि भी सुरेन्द्रसिंह उर्फ छिन्द्रसिंह के ही कब्जा—काश्त में है। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने साठगांठ कर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का आदेश प्राप्त किया है जो बिना अपीलांट एवं उसके परिवार के सदस्यों को पक्षकार बनाये बिना एवं सार्वजनिक नोटिस जारी किये बिना ही आदेश पारित किया गया हैं। अपीलांट का नाम सुरेन्द्रसिंह उर्फ छिन्द्रसिंह होने बाबत् सबूत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण—पत्र, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत करडवाला का प्रमाण—पत्र, पूर्व ग्राम वार्ड पंच का प्रमाण—पत्र, परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण—पत्र एवं राजस्थान राजपत्र की अधिसूचना अंक 01 दिनांक 06.04.2017 प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन आदेश एकतरफा एवं पीठ पीछे जारी किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर में पक्षकार नही है ना ही अपीलाधीन आदेश से एग्रीव्ड है। इस कारण अपीलांट को सैक्शन 96 सी.पी.सी के तहत अपील पेश करने की अनुमति नही दी जा सकती। अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2017 को पारित हुआ था उस समय अपीलांट का नाम सुरेन्द्र सिंह ही था मगर साजिश पूर्वक दिनांक 31.05.2017 को 60 वर्ष की उम्र में उसने अपना नाम सुरेन्द्र सिंह उर्फ छिन्द्र सिह करवाया हैं जो स्पष्टतया धोखाधडी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने तमाम सबूत मूल निवास, आधार कार्ड, राशन कार्ड पेश कर दिये है। अपीलांट द्वारा फर्जकारी से जो नाम दुरूस्त करवाया है जो अपील के साथ सबूत के तौर पर पेश कर दिये हैं।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट जन्म से साठ वर्ष की उम्र तक सुरेन्द्र सिंह ही था उसके द्वारा भूमि जरिये बयनामा खरीद की गई है उसमें नाम सुरेन्द्र सिंह ही है उसके द्वारा भूमि का बेचवान किया गया उसमें भी उसका नाम सुरेन्द्र सिंह ही है। अपीलाधीन भूमि हडप करने के लिए अपीलांट ने सारी धोखाधड़ी की है। वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

1. आर.आर.डी. 2009 पेज संख्या 636 2. आर.आर.डी 1999 पेज संख्या 98

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही मानते हुए अपील मियाद में शुमार की जाती है। उक्त प्रकरण में वादगत भूमि छिन्द्रसिंह के नाम दर्ज थी जिसमें उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने छिन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह के स्थान पर जितेन्द्र सिंह उर्फ छिन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह दर्ज करने के आदेश प्रदान किए थे। उक्त वादगत भूमि राजस्व रिकॉर्ड पर पूर्व में ना ही जितेन्द्रसिंह के नाम दर्ज थी ना ही सुरेन्द्रसिंह के नाम दर्ज थी, उक्त वादगत भूमि छिन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अर्न्तगत लिपिकीय त्रुटि से हुई अशुद्धि के शुद्धि के प्रकरण आते है, राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के नाम को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, परन्तु उक्त प्रकरण में रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार के नाम में वृद्धि की गई है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अर्न्तगत नही आता हैं। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2017 निरस्त किया जाता है। अपीलांट वादगत भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक दावा कर अपने अधिकार तय करवाने हेतु स्वतंत्र है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/11/24.

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर